(19)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /२०१७ निगरानी

II/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/4682 मुस० अजोरिया बेवा पत्नी कमला प्रसाद,

२- दयाशंकर साहू पुत्र स्व० श्री कमला प्रसाद,

३- रमेश कुमार साहू पुत्र स्व० श्री कमला प्रसाद साहू,
निवासीगण ग्राम पंजरेह, तेहसील व जिला सिंगरौली-मध्यप्रदेश ।

श्री एस० के० कलसानी, अधि० द्वारा आज दि. 27-11-17 को प्रस्तुत
27-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पेशी दि० 15-12-17
Noted.
26/11/16

-------- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- मुस० लखरनिया बेवा पत्नी स्व० कमला प्रसाद साहू,

२- लाले प्रसाद पुत्र स्व० कमला प्रसाद साहू,

३- मोहन पुत्र स्व० कमला प्रसाद साहू,

४- विश्वनाथ पुत्र स्व० कमला प्रसाद साहू,

५- सुरेश पुत्र स्व० कमला प्रसाद साहू,
निवासीगण ग्राम पंजरेह, तेहसील व जिला सिंगरौली (म०प्र०) ।

६- रामपति पुत्री स्व० कमला प्रसाद साहू, पत्नी राजेन्द्र गुप्ता ता० शक्तिनगर, तेह० दुदी, जिला सोनभद्र (उ०प्र०) ।

७- प्रदीन पुत्री स्व० कमला प्रसाद साहू, पत्नी छोटेलाल साहू, ता० कुटार, तेहसील व जिला सिंगरौली-म०प्र०।

८- गुलता पुत्री स्व० कमला प्रसाद साहू, पत्नी राजकुमार साहू, ता० गहिलगढ़, तेह० व जिला सिंगरौली-म०प्र०।

९- साधना पुत्री स्व० कमला प्रसाद साहू पत्नी सुनील साहू ता० थहिलगढ़, तेह० व जिला सिंगरौली-म०प्र० ।

१०- सुनीता पुत्री स्व० कमला प्रसाद साहू पत्नी दिनेश साहू निवासी ता० म्योरपुर तेह० दुदी जिला सोनभद्र-म०प्र०

११- रेनू पुत्री कमला प्रसाद

----- प्रतिप्रार्थीगण

क्रमशः ---२

निगरानी बिरुध्द आदेश तहसीलदार महोदय सिंगरौली दिनांकी १७-१०-१७ -अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश सहपठित धारा ८ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० १६६।अ-६।१४-१५ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय व्दारा प्रकरण में की गई कार्यवाही एंव पारित विवादित आदेश कानूनन सही नहीं हैं।

०२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, विवादित आदेश के पद-२ में यह मानते हुये भी कि प्रतिप्रार्थी गण के बिरुध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गई है फिर भी समाचार-पत्र एंव रजिस्टर्ड लिफाफा से नोटिस भेजने हेतु निर्देशित किये जाने का कोई औचित्य ही शेष नहीं रहता और इस आधार पर पारित विवादित आदेश एंव की गई कार्यवाही निरस्त की जाना योग्य है ।

४- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में यद्यिपि एकपक्षीय कार्यवाही के पश्चात् पुन: नोटिस भेजे जाने की कोई औचित्य शेष न था, यदि तहसीलदार महोदय के मत में पुन: नोटिस भेजा जाना आवश्यक था, तब सकारण आदेश दिया जाना चाहिये था ।

५- यह कि,भू-राजस्व संहिता मेंनोटिस भेजे जाने हेतु अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान व नियम उपलब्ध है । इन नियमों पर बिना विचारकिये तथा नियमों का पालन किये बिना, की गई कार्यवाही एंमव पारित विवादित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

६- -यह कि, भू-राजस्व संहिता में समाचार पत्र एंव रजिस्टर्ड डांक से नोटिस भेजे जाने का कोई प्रावधान न होने से पारित आदेश अधिकार रहित होने से निरस्ती योग्य है ।

७- यह कि, प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव न होना मानना कानून के स्पष्ट प्रावधानों को अनदेखा करना है । जब ब०ब० अभिलिखित ठे०ठे०

क्रमश :---3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2017/4682

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण क्र. 169/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	